रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251110
CG-DL-E-03012024-251110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945
No. 39] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

का.आ. 44(अ) - भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित मे आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को लैबोरेटरी ग्लासवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के बाद लागू होगा।

2. **मानक का अनुपालन और मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग –** तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि लघु उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो, तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
लैबोरेटरी ग्लासवेयर	878:2008	लैबोरेटरी ग्लासवेयर – ग्रेज्यूएटेड मेजरिंग सिलेंडर्स
	915:2012	लैबोरेटरी ग्लासवेयर – वन-मार्क वाल्यूमेट्रिक फ्लॉस्क
	1381 (भाग 1): 2003	लैबोरेटरी ग्लासवेयर – नैरो-नेक्ड बॉयलिंग फ्लॉस्क
	1117:2018	लैबोरेटरी ग्लासवेयर – सिंगल वाल्यूम पिपेट्स
	2619:2018	ग्लास बीकर

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/10/2023– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 1st January, 2024

S.O. 44(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) This order may be called the Laboratory Glassware (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. **Conformity to standards and Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in the Column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in Column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to micro enterprises, as defined in clauses (h) and (m) respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the first day of expiry of twelve months from the date of publication of this notification.

Provided also that in relation to small enterprises, as defined in clauses (h) and (m) respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the first day of expiry of nine months from the date of publication of this notification.

3. **Certification and enforcement authority.-** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Column (1) of the Table.

4. **Penalty for contravention.-** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Laboratory Glassware	878:2008	Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders
	915:2012	Laboratory glassware - One - Mark volumetric flasks
	1381 (Part 1): 2003	Laboratory glassware –Narrow-necked boiling flasks
	1117:2018	Laboratory glassware – Single volume pipettes
	2619:2018	Glass beakers

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards shall apply.

[F. No. P-29026/10/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.